Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं0 07/2016

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री गुरचरण सिंह निवासी 3 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरचरण सिंह निवासी 3 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित :

1. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

आदेश **दिनांक : 30.07.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पूर्वज (दादा)हरि सिंह के विरूद्व सीलिंग प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ–1(1746)/राज/सी/18/200 दिनांक 09.02.1981 पुराना कानून एवं आदेश कमांक एफ–1 (1632)/राज/सी/78/4808 दिनांक 21.11.1979 द्वारा राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) एवं 15(1) के अन्तर्गत पुनः खोले जाकर जांच एवं सुनवाई उपरान्त निर्णय हेतु श्रीमान न्यायालय को प्राप्त हुआ जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में प्रकरण सख्या 222/1979 के रूप में पंजीद्व हुआ जिसका निर्णय दिनांक 18.06.1984 को पारित हुआ जिसमें पुराना कानून व नया कानून के तहत 53.09 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के दादा स्व. हरीसिंह के पांच पुत्र कुलदीप सिंह, जोगेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, करतार सिंह व गुरचरण सिंह थे। वर्तमान में इन पांचो की मृत्यु हो चुकी है। इसके उपरान्त प्रार्थीगण के दादा हरीसिंह के वारिसान कुलसिंह आदि ने यानि प्रार्थीगण के ताया कुलदीप सिंह व अन्य ने राजस्व मण्डल में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के आदेश दिनांक 18.06.1984 के विरूद्व दो अपीलें कमशः 464/1984 व 465/1984 प्रस्तुत की। उक्त दोनो अपीलों का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.04.1989 को पारित किया गया जिसमें पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 5.10 बीघा जमीन और नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 3.4 बीघा जमीन कुल 8.14 बीघा जमीन का अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त कुलदीप सिंह वगैरहा ने उक्त दोनो मूल अपील संख्या 464/84 व 465/84 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में नजरसानी कमशः

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सख्या 29/1989 व 30/1989 प्रस्तुत की गयी, जिनका निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 08.06.1989 को पारित किया गया जिसके अनुसार 5.10 बीघा जमीन का अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त कुलदीप सिंह वगैरहा ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के विरूद्व डी.बी. सिविल रिट पैटीशन नम्बर 1988/1989 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 03.02.1997 को पारित कियाकक जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिये गये। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा डी.बी. सिविल स्पैशल अपील रिट नम्बर 451/1999 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 03.02.1997 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जो कि दिनांक 14.07.1999 को खारिज हो गयी। इसी दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र कमांक 1273–74 दिनांक 05.05.1989 की पालना में 8.14 बीघा भूमि रकबा राज दर्ज हो गया जिसके सम्बन्ध में इन्तकाल नम्बर 15 दर्ज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों दिनांक 03.02.1997 एवं 14.07.1999 के आधार पर इन्तकाल संख्या 15 को निरस्त करते हुए, रकबा स्व0 गुरचरण सिंह व स्व0 करतार सिंह के वारिसान के नाम से दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थीगण के पूर्वज (दादा)हरि सिंह के विरूद्व सीलिंग प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ–1(1746)/राज/ सी/18/200 दिनांक 09.02. 1981 पुराना कानून एवं आदेश कमांक एफ–1 (1632)/राज/सी/78/4808 दिनांक 21.11.1979 द्वारा राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) एवं 15(1) के अन्तर्गत पुनः खोले जाकर जांच एवं सुनवाई उपरान्त निर्णय हेतु श्रीमान न्यायालय को प्राप्त हुआ जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में प्रकरण सख्या 222/1979 के रूप में पंजीद्व हुआ जिसका निर्णय दिनांक 18.06.1984 को पारित हुआ जिसमें पुराना कानून व नया कानून के तहत 53.09 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के दादा स्व. हरीसिंह के पांच पुत्र कुलदीप सिंह, जोगेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, करतार सिंह व गुरचरण सिंह थे। वर्तमान में इन पांचो की मृत्यु हो चुकी है। इसके उपरान्त प्रार्थीगण के दादा हरीसिंह के वारिसान कुलसिंह आदि ने यानि प्रार्थीगण के ताया कुलदीप सिंह व अन्य ने राजस्व मण्डल में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के आदेश दिनांक 18.06.1984 के विरूद्व दो अपीलें कमशः 464/1984 व 465/1984 प्रस्तुत की। उक्त दोनो अपीलों का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20. 04.1989 को पारित किया गया जिसमें पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 5.10 बीघा जमीन और नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 3.4 बीघा जमीन कुल 8.14 बीघा जमीन का अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त कुलदीप सिंह वगैरहा ने उक्त दोनो मूल अपील संख्या 464/84 व 465/84 के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में नजरसानी क्रमशः सख्या 29/1989 व 30/1989 प्रस्तुत की गयी, जिनका निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 08.06.1989 को पारित किया गया जिसके अनुसार 5.10 बीघा जमीन का अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त कुलदीप सिंह वगैरहा ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों के विरूद्व डी.बी. सिविल रिट पैटीशन नम्बर 1988/1989 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 03.02.1997 को पारित कियाकक जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिये गये। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा डी.बी. सिविल स्पैशल अपील रिट नम्बर 451/1999 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 03.02.1997 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जो कि दिनांक 14.07.1999 को खारिज हो गयी। इसी दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1273–74 दिनांक 05.05.1989 की पालना में 8.14 बीघा भूमि रकबा राज दर्ज हो गया जिसके सम्बन्ध में इन्तकाल नम्बर 15 दर्ज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों दिनांक 03.02.1997 एवं 14.07.1999 के आधार पर इन्तकाल संख्या 15 को निरस्त करते हुए, रकबा स्व0 गुरचरण सिंह व स्व0 करतार सिंह के वारिसान के नाम से दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने डी.बी. सिविल रिट सख्या 1988/89 निर्णय दिनांक 03.02.1997 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का निर्णय दिनांक 08.06.1989 एवं इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.1984 को निरस्त किया जा चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमाकः–रिट/16/517 दिनांक 13.02.2017 अनुसार उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पुराना सीलिंग कानून प्रकरण संख्या 1171/73 हरीसिह पुत्र भाग सिंह निवासी 3 टी.के. निर्णय दिनांक 04.02.1975 द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.02.1975 के विरूद्व राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व सीलिंग विभाग के पत्रांक एफ.(1632)/राज/सी/78/4808 जयपुर दिनांक 21.11.1979 द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 1141/75 (नया सीलिंग) प्राधिकृत अधिकारी रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 04.02.1975 सीलिंग कानून 1973 के नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण धारा 15(1) के तहत प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को श्रीमान उप शासन सचिव राजस्थान जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.11.1979 को प्रकरण रिमाण्ड कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया। जिसके तहत इस न्यायालय द्वारा सीलिंग रि ओपन प्रकरण संख्या 222/79 निर्णय दिनांक 18.06.1984 द्वारा सरकार बनाम हरीसिंह में पुराना कानून एवं नये कानून के तहत 53.09 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 464/84 कुलदीप सिंह बनाम सरकार एवं 465/84 दायर की गई। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.1989 द्वारा पुराने सीलिंग कानून में 5.10 बीघा भूमि व नये सीलिंग कानून के तहत 8.14 बीघा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। तत्पश्चात कुलदीप सिंह वगैरहा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नजरसानी 29/89, 30/89 दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.1989 द्वारा पुराने सीलिंग कानन के तहत 5.10 बीघा के अधिग्रहण के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व पक्षकारान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.सिविल रिट संख्या 1988/89 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.1997 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.06.1984 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 08.06.1989 को निरस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.02.1997 के विरूद्व डी.बी. स्पेशल अपील दायर करने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.07.1999 को स्पेशल डी.बी. अपील सख्या 451/99 खारिज कर दी गई। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल सख्या 15 दिनांक 13.06.1989 पत्थर नम्बर 173/296, मु.न. 37 के किला नम्बर 7/.228, 8/.253, 13/2/.127, 14/.253, 15/.253 कुल 1.114 हैक्टर जो करतार सिंह वल्द हरि सिंह जाति कम्बोजसिख एवं पत्थर नम्बर 173/296, मु.न. 37 के किला नम्बर 9/.253, 10/.228, 11/.228, 12/.253, 13/1/.126 कुल 1.088 जो गुरचरण सिंह पुत्र हरि सिंह जाति कम्बोजसिख की कुल 2.202 हैक्टर अर्थात 8 बीघा 14 बिस्वा न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 18.06.1984 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश किसी भी माननीय न्यायालय से वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)